न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 – 86/2022

अनवान : –

1. रामलाल पुत्र ठाकरराम जाति जाट निवासी नीमला त0 नोहर ।
2. गणेशाराम पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी नीमला त0 नोहर। – प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :–श्री रविन्द्र गोदारा **प्रार्थीगण**
राजपैरोकार **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांकः 20/12/2022

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा नीमला के खाता स0 188/152 के खसरा सं0 524/1, 524/5, 72/2 की कुल 13.7340है0 बारानी खातेदारी में प्रार्थीगण प्रत्येक 1/2 बहिस्सा बराबर व इसी प्रकार रोही मौजा नीमला के ही खाता सं0 382/188 के खसरा सं0 434/1 की कुल 3.4780है0 में प्रार्थी सं0 1 के नाम 6953/34780 हिस्सा व प्रार्थी सं0 2 के नाम 27827/34780 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीगण के नाम के आगे नाबालिग दर्ज है तथा प्रार्थी सं0 2 का नाम गणेशाराम दर्ज है जबकि प्रार्थी सं0 2 का सही नाम गणेशराम है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में प्रार्थीगण के नाम के आगे नाबालिग दर्ज है जबकि प्रार्थीगण मुताबिक दस्तावेज अब बालिग हो चुके है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीगण के नाम से नाबालिग शब्द हटाया जाकर व इसके साथ ही प्रार्थी सं0 2 का नाम गणेशाराम के स्थान पर गणेशराम दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड सही किया जावें जिससे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का का नियमित उपयोग–उपभोग कर सके । अतः प्रार्थीगण अपने दस्तावेजों के आधार पर उक्त संशोधन करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य प्रार्थी में रामलाल व गणेशराम के द्वारा शपथ पत्र जरिये मुख्य परीक्षा पेश कर अपने दस्तावेजों को सही होना स्वीकार किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 11:39:57 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में प्रार्थीगण के नाम के आगे नाबालिग दर्ज है जबकि प्रार्थीगण मुताबिक दस्तावेज अब बालिग हो चुके है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थीगण के नाम से नाबालिग शब्द हटाया जाकर व इसके साथ ही प्रार्थी सं0 2 का नाम गणेशाराम के स्थान पर गणेशराम दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड सही किया जावें जिससे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का का नियमित उपयोग–उपभोग कर सके। प्रार्थी सं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अंक तालिका व आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि के अनुसार प्रार्थीगण वर्तमान में बालिग है जिसके अनुसार उक्त संशोधन किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने रोही मौजा नीमला के खाता स0 188/152 के खसरा सं0 524/1, 524/5, 72/2 की कुल 13.7340है0 बारानी खातेदारी में प्रार्थीगण प्रत्येक 1/2 बहिस्सा बराबर व इसी प्रकार रोही मौजा नीमला के ही खाता सं0 382/188 के खसरा सं0 434/1 की कुल 3.4780है0 में प्रार्थी सं0 1 के नाम 6953/34780 हिस्सा व प्रार्थी सं0 2 के नाम 27827/34780 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण के नाम के आगे नाबालिग दर्ज है तथा प्रार्थी सं0 2 का नाम गणेशाराम दर्ज है, मुताबिक दस्तावेजात अंक तालिका कक्षा–10 में प्रार्थी सं0 01 की जन्म दिनांक 07.04.2001 तथा प्रार्थी सं0 2 की जन्म दिनांक 03.05.2003 अंकित है जिसके आधार पर वर्तमान में प्रार्थीगण बालिग है। तथा प्रार्थी सं0 2 के दस्तावेजों के आधार पर सही नाम गणेशराम है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा नीमला के खाता स0 188/152 के खसरा सं0 524/1, 524/5, 72/2 की कुल 13.7340है0 बारानी खातेदारी में प्रार्थीगण प्रत्येक 1/2 बहिस्सा बराबर व इसी प्रकार रोही मौजा नीमला के ही खाता सं0 382/188 के खसरा सं0 434/1 की कुल 3.4780है0 में प्रार्थी सं0 1 के नाम 6953/34780 हिस्सा व प्रार्थी सं0 2 के नाम 27827/34780 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीगण के नाम के आगे नाबालिग दर्ज है तथा प्रार्थी सं0 2 का नाम गणेशाराम दर्ज है, में प्रार्थीगण के नाम से नाबालिग हटाया जाकर प्रार्थीगण को कमशः रामलाल पुत्र ठाकरराम व गणेशराम पुत्र साहबराम दर्ज किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करें।

निर्णय आज दिनांक 20/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
R.A.S
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.14 11:59:57 IST
Reason: SelfAttested